प्रसार शिक्षा निदेशालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर, राजस्थान–303329
दूरभाषः 01425–254035 (ऑ), 01425–254022 (फैक्स)

क्रमांक :एफ ( ) निविदा / प्र.शि.नि. / श्रीकनकृविवि / 2019 / 5025-29 दिनांक 05.03.2019

सीमित निविदा सूचना

प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में चल रहे पाठ्यक्रम "डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्स्टेंशन सर्विसेज फोर इनपुट डीलर्स (देशी) के प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण पर ले जाने हेतु एक बस 2X3 (52 सीटर) पुशबैक सीट वाली छः माह (अगस्त 2019 तक) किराये हेतु आवश्यकता है। इस कार्य के इच्छुक पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियां / बस मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद निविदाएं दिनांक **13.03.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक** आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 12.30 बजे उपस्थित निविदिताओं के समक्ष (यदि कोई हो तो) समिति द्वारा खोली जावेगी।

क्रम सं.	राजस्थान के विभिन्न जिलो में क्षेत्र भ्रमण के लिए बस	बैठने की क्षमता (52 सीटर)	दर / प्रति किमी. (100 किमी. प्रतिदिन तक)	दर / प्रति किमी. (200 किमी. प्रतिदिन तक)	दर / प्रति किमी. (200 किमी. प्रतिदिन से अधिक)

शर्ते :–

1. बस माह मार्च 2019 से अगस्त 2019 तक (छः माह हेतु) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, कृषि फार्म ढिढोल बस्सी, उदयपुर, चितौड़गढ़ आदि स्थानों पर प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से ले जाकर वापस प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर पर लाना होगा। भ्रमण के स्थानों में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. किराया (यदि जी.एस.टी. देय / लागू) की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से देनी होगी। डीजल, ऑयल, टोल टैक्स, नाइट चार्जेज, परमिट एवं अन्य कर / खर्च आदि बस मालिक द्वारा देय होगा।
3. वाहन का ऑल राजस्थान का परमिट होना आवश्यक है।
4. वाहन का टैक्सी परमिट, वाहन का बीमा, व चालक लाईसेन्स होना आवश्यक है।
5. वाहन का 2013 के बाद पंजीकृत होना आवश्यक है।
6. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए वाहन मालिक ही पूर्ण जिम्मेदार होगा।
7. वाहन से सम्बन्धित किसी भी तरह के खर्च को वाहन मालिक स्वयं को वहन करना होगा।
8. निविदादाता द्वारा समय पर यात्रा हेतु वाहन उपलब्ध नही कराने पर सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म पर सख्त कार्यवाही की जावेगी एवं फर्म / व्यक्ति का कोई भुगतान नही किया जायेगा।
9. गाडी का मेन्टीनेंस एवं चालक परिचालक का खर्च बस मालिक द्वारा देय होगा।
10. बस के समस्त कागजात पूर्ण होना अनिवार्य है।
11. बस में बैठनें हेतु सीटें आरामदायक होनी चाहिए तथा सामान (लगेज) हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिये।.
12. बस में म्युजिक सिस्टम सही कन्डीशन में होना अनिवार्य है।
13. बस के ग्लास एयर टाइट होना अनिवार्य है।
14. चालक एवं परिचालक का वर्दी में होना अनिवार्य है, तथा इनका दैनिक खर्चा बस मालिक स्वयं का होगा।

15. बस भ्रमण के दिन सूचनानुसार समय पर प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में उपलब्ध करवानी होगी। भ्रमण के लिए 7 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।

16. निविदाओं को निरस्त एवं स्वीकार करनें का अधिकार अधोहस्ताक्षर करता के पास होगा।

17. बस सक्षम कमेटी की सिफारिश के बाद ही स्वीकृत या अस्वीकृत की जावेगी।

18. मार्ग में गाड़ी खराब होने पर दूसरी बस समय पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

19. निविदा फार्म के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्ल करने होगें :–

    1. ट्रेवल एजेन्सी की स्थिति में एजेन्सी का लाइसेन्स।
    2. बस की आर.सी. की फोटोकॉपी।
    3. बस की नवीनतम फोटो।
    4. जी.एस.टी.,यदि देय/लागू है तो जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा कर चुकता प्रमाण पत्र।
    5. बस के परमिट की छायाप्रति।

मैंन/हमनें निविदा की हिन्दी में लिखित सभी शर्त पढ़ ली है/ समझ ली है जो कि मुझे/ हमें पूर्णतः स्वीकार है।

(निदेशक प्रसार शिक्षा)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता
मय पूर्ण पता एवं मोहर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर
2. श्रीमान् कोषाधिकारी महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर,
3. श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. सूचना पटट्
5. इंचार्ज सिमका को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर एवं SPP पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें।

6/3/19

(निदेशक प्रसार शिक्षा)